न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

मि-पत्र संख्या :-3 / 2024
CMS NO:- 2024/84

दायर दिनांक- 17.05.2024
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

सोजीराम आ0 जगन्नाथ बैरवॉ नि0 सुवांराडा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

कजोड आ0 रामनारायण कुम्हार नि0 सुवांराडा तहसील नैनवॉ वगैरह (कुल 15)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह नरूका।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सुवासडा मे बैरून हल्का आवादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार व कब्जे काश्त की आराजी संख्या 770/615 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि राजस्व खाता संख्या 188 पर दर्ज होकर स्थित है। उक्त भूमि के चारें तरफ सीमा के कोई मुश्तकिल निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने आदि मे दरम्यान पक्षकारान आपस मे बराबर सीमा संवंधी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालम बाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिमबार दिनांक 9.3.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पडा है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी व नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 01 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम सुवाराडा के खसरा नम्वर 770/615 रकबा 0.8090 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायव तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा